

न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(08)2018/142

दिनांक : 26 मार्च, 2018

निमित्त,

तहसीलदार

राशमी

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।



1. रामचन्द्र पिता केला जी जाति लौहार आयु बालिग निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज।

प्रार्थी

बनाम

1. किशन लाल पिता कालु जी जाति जाट बालिग निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
2. दलपत सिंह पिता गोपालसिंह जी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
3. गणेश पिता किशना जी जाति ब्राह्मण आयु बालिग निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
4. श्याम लाल पिता सुखलाल जी जाति लौहार आयु बालिग निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
5. लक्ष्मीलाल पिता सुखलाल जी जाति लौहार आयु बालिग निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज०
6. तहसीलदार साहब राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 008/2018**-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::-**

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 900/- रुपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा भालोटा की खेडी पटवार हल्का भालोटा की खेडी तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या 248, 251, 252, 255, 250, 256, 260, 261, 258 की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावें। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका पेश करे तथा कमिश्नर फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें।



पंकज शर्मा
(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़